सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 137/14 **निर्णय दिनांकः– 28.06.2019**

1. खादम खॉ पुत्र कादरबक्स जाति मुसलमान निवासी फलांवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 31–12–2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 31–12–2013 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता कादरबक्स के नाम संवत् 2011 से 2035 तक तहसील पूगल के ग्राम फलांवाली के खसरा नम्बर 64/42 में 50 बीघा भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज थी तथा मौके पर कब्जा काश्त था अपीलांट के पिता के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर

89/17 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 89/25 के किला नम्बर 8 ता 19, 21 ता 25 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 89/33 के किला नम्बर 6 ता 8, 12 ता 19, 21 ता 25 में 16 बीघा व मुरब्बा नम्बर 89/34 के किला नम्बर 1 ता 5, 9, 10 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के उक्त आवंटन को तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा अनियिमित मान लिये जाने पर अपीलांट द्वारा लम्बी कानूनी लड़ाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटनों को नियमित करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक वाद पेश किया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट के पिता कादरबक्स के नाम संवत् 2011 से 2035 तक तहसील पूगल के ग्राम फलांवाली के खसरा नम्बर 64/42 में 50 बीघा भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज थी तथा मौके पर कब्जा काश्त था अपीलांट के पिता के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 89/17 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 89/25 के किला नम्बर 8 ता 19, 21 ता 25 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 89/33 के किला नम्बर 6 ता 8, 12 ता 19, 21 ता 25 में 16 बीघा व मुरब्बा नम्बर 89/34 के किला नम्बर 1 ता 5, 9, 10 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर आवंटन की

दिनांक से ही आवंटन के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट के पिता की उक्त गैर खातेदारी भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर आराजीराज दर्ज कर दी गई परन्तु धारा 15 ए 15एएए आरटीए के प्रभाव में आते ही उक्त भूमि की पूर्व की स्थिति बहाल की जानी चाहिए थी। इस बाबत् अपीलांट द्वारा अनेकानेक प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु उक्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किये जाने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करने का कथन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वार जवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य

सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार खेवट खतौनी ग्राम फलांवाली 2015—18 से 2023 तक खसरा नम्बर 64/42 के 50 बीघा रकबे पर कादरबक्स को मौरूसी कृषक दर्ज किया गया। गिरदावरी सवंत् 2013 से 2022 तक उक्त खसरे के 50 बीघा में से विभिन्न वर्षो में अलग—अलग भाग में रकबे पर कादरबक्स की मंजूरशुदा संवत् 2013 से दिनांक 22—06—1962 तक नवीनीकृत के रूप में काश्तकार दर्ज है। ग्राम फलांवाली के खसरा नम्बर 42/2 तथा 45 में से कुछ हिस्से की चकबन्दी होने पर मुरब्बा नम्बर 89/25, 89/33, 89/17, 89/34 बने है। प्रतिवादी राजपरौकार ने उक्त रिकार्ड से परे जाकर उक्त मुरब्बों की भूमि आवंटित न होने तथा कब्जा न देने का कथन किया है। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अपीलांट ने भूमि की चकबन्दी होने के उपरान्त कब्जा काश्त के सबूत के रूप में पानी व लगान की पर्चिया पेश की है। जिन पर परीक्षण न्यायालय ने गौर नहीं किया।

अपीलांट के पिता को संवत् 2013 में मौरूसी काश्तकार के रूप में आवंटित भूमि के संवत् 2020 तक नवीनीकरण होने के सबूत के बावजूद केवल बाद के वर्षो में नवीनीकरण न होने के तर्क के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया है। जबकि उक्त आवंटन खारिज करने का कोई विधि सम्मत आदेश जारी नहीं किया गया। टीनेन्सी एक्ट लागू होने के तत्काल बाद उपनिवेशन क्षेत्र के मौरूसी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के लिए टीनेन्सी एक्ट की धारा 15एएए में

विशिष्ट प्रावधान है। परीक्षण न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सबूतों का उक्त प्रावधान के संदर्भ में परीक्षण किये बिना केवल नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर वाद खारिज करने में भूल की है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—12—2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी को साक्ष्य पेश करने का समुचित मौका देकर साक्ष्य व सबूत के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर